25. कम्पनी सेक्रेटरी के रूप में कैरियर

किसी भी विषय के साथ बारहवीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के उज्जवल केरियर निर्माण में एक महत्वपूर्ण कोर्स कम्पनी सेक्टेरी का हैं। यह कोर्स अत्यंत प्रतिष्ठित कोर्स है जिसको पूर्ण करने से विद्यार्थी के रोजगार प्राप्ति की सुनिश्चत गारंटी होती है।

कम्पनी सेक्रेटरी के कोर्स को अधिनियमित एवं नियंत्रित करने का कार्य इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनीज सेक्रेटरी ऑफ इंडिया (ICSI) के द्वारा किया जाता है। यह संस्था भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई एवं दिल्ली में है। वर्तमान में भारत वर्ष में लगभग 75000 कम्पनी सेक्रेटरी प्रैक्टिसरत है जबकि 5 लाख से अधिक विद्यार्थी इस कोर्स में पंजीकृत है।

कम्पनी सेक्रेटरी के कार्य/दायित्व :--

- एक कम्पनी सेक्रेटरी किसी कम्पनी का इन हाऊस लीगल एक्सपर्ट है। यह किसी कम्पनी के मामलों का कम्पलायन्स अधिकारी भी होता है।
- कम्पनी सेक्रेटरी किसी कम्पनी के लिए कम्पनी कानून, कॉरपोरेट कानून, सिक्यूरिटी कानून के साथ कॉरपोरेट गर्वनेंस का विधिवत विशेषज्ञ होता है।
- कम्पनी सेक्रेटरी किसी कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों के लिए प्रमुख सलाहकार (Chief Advisor) होता
 है जो बैठकों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की कम्पनी सबंधी कानूनी एवं नीतिगत सलाह देता है।
- भारत सरकार के समस्त वित्तीय संस्थान एवं अन्य रेग्यूलेटरी संस्थानों में कम्पनी के मामलों की प्रस्तुति हेतु कम्पनी सेकेट्री एकमात्र अधिकृत प्रतिनिधि होता हैं।
- 5. किसी कम्पनी के पब्लिक इश्यू जारी करना, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग का कार्य, अन्य कम्पनियों के अधिग्रहण संबंधी कार्य, कम्पनी का अन्य कमपनी से विलय इत्यादि समस्त कार्यो का संपादन कम्पनी सेक्रेटरी के माध्यम से संपादित होता है।

इस प्रकार एक कम्पनी सेक्रेटरी कम्पनी मामलों में बहु आयामी कार्यो का विशेषज्ञ होता है जो टैक्सेशन, फायनान्स, एकाऊन्टिंग सहित कम्पनी मामलों के देशी एवं विदेशी कानूनों का जानकर होता हैं। स्पष्ट है विद्यार्थियों के लिए यह कैरियर अत्यंत आकर्षक है।

कम्पनी सेक्रेटरी के रूप में रोजगार के अवसर :-

- कम्पीन सेक्रेटरी उन समस्त कम्पनी में पदस्थ किया जाना कम्पनी कानून 1956 की घारा 383 के तहत अनिवार्य है जिस कम्पनी का शेयर केपिटल 5 करोड़ रूपये से अधिक हैं।
- कोई भी कम्पनी जो शेयर मार्केट में आना चाहती है उन्हें अपने कम्पनी में अनिवार्य रूप से कम्पनी सेक्र्टरी को पूर्णकालिक रूप से रखना होता हैं।
- कोई कम्पनी जो 10 लाख से 5 करोड़ के मध्य व्यवसाय करती है उनके सारे रिटर्न जो विभिन्न रेग्यूलेटरी संस्थानों को प्रस्तुत करना होता है वह केवल कम्पनी सेक्रेटरी के माध्यम से ही हो सकता हैं।

कम्पनी सेक्टरी बनने की प्रक्रिया :- कम्पनी सेक्ट्रिश बनने हेतु 2 स्तरों के कोर्स पूर्ण करना होता है।

1. एक्जीक्यूटिव कोर्स

- 2. प्रोफेशनल कोर्स
 - इन कोर्स के लिखित पाठ्यकमों के अतिरिक्त कतिपय अनिवार्य प्रायोगिक कोर्स एवं ट्रेनिंग को भी पूर्ण करना अनिवार्य है। जिनके विवरण निम्न है—
- एक्जीक्यूटिव कोर्स (Executive Course):— इस कोर्स में प्रवेश के लिये 12 वी उत्तीर्ण छात्रों को CS
 Executive Entrance Test (CSEET) देना होता है। इस टेस्ट का आयोजन ICSI के द्वारा किया जाता
 है। स्नातक एवं परास्नातक विद्यार्थियों को इस परीक्षा एवं कोर्स की आवश्यकता नहीं होती है वो सीधे
 प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश ले सकते है।

CS Executive Entrance Test (CSEET) परीक्षा प्रतिवर्ष 4 बार जनवरी, मई, जुलाई एवं नवम्बर माह में आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिये ICSI के वेबसाइट www.icsi.edu में ऑनलाईन आवेदन करना होता है। इस परीक्षा में 4 भाग होते है तथा परीक्षा की कुल अविध 2 घंटा होता है। परीक्षा के भाग एवं उनके अंक निम्नानुसार है—

- 1. बिजनेस कम्यूनिकेशन (50अंक)
- 2. लीगल एप्टीट्यूट एंड लॉजिकल रीजनिंग (50 अंक)
- 3. इकोनॉमिक एंड बिजनेस इनवायरमेंट (50 अंक)
- 4. करेन्ट अफेयर्स (20 अंक)

इसके साथ ही प्रेंजेन्टटेशन एंड कम्यूनिकेशन स्कील का वीडियों आधारित 30 अंक का परीक्षा होता है। इस परीक्षा को पास करने के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में अलग–अलग कम से कम 40 प्रतिशत अंक तथा सभी प्रश्न पत्रों को मिला कर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है।

CS Executive Program के पाठ्यक्रम 2 Module में विभाजित है। प्रत्येक Module में 4-4 विषय होते है।

Executive कोर्स का पाठ्यक्रम :-

इस कोर्स हेतु दो मॉड्यूल में 8 विषयों के पाठ्यक्रम निर्धारित है जिनमें प्रथम मॉड्यूल में 4 एवं द्वितीय मॉड्यूल में 4 पेपर निर्धारित हैं। इनमें निम्न पेपर सम्मिलित हैं:-

मॉड्यूल प्रथम :--

- 1. भारतीय संविधान, न्यायिक और सामान्य कानूनी सिद्धांत
- २ कम्पनीलॉ
- 3. व्यवसाय स्थापित करने एवं बंद करने की प्रक्रिया
- 4. टैक्स लॉ

मॉड्यूल द्वितीय :--

- 1. कारपोरेट एंड मैनेजमेंट एकाउंटिंग
- 2. सिक्योरिटीस् लॉ केपिटल मार्केट
- 3. इकोनामिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ
- 4 फाइनेशियल एंड स्ट्रैजिक मैनेजमेंट

इन पेपरों में 40%न्यूनतम एवं सामान्य कानून इन पेपरों में 50% न्यूनतम कुल अंक प्राप्त करना उत्तीर्ण होने के लिए अनिवार्य है।

प्रोफेशनल कोर्स :- एक्जीम्यूटिव कोर्स उत्तीर्ण आवेदक इस पाठ्यक्रम के प्रोफेशनल कोर्स हेतु पात्र होते है जिसमें कुल आठ विषयों में परीक्षा ली जाती है जो 02 मॉड्यूलों में विभक्त है। यह परीक्षा भी प्रतिवर्ष माह जून एवं दिसम्बर में आयोजित होती है।

कम्पनी सेक्रेटरी हेतु निर्धारित अनिवार्य ट्रेनिंग :--

कम्पनी सेक्रेंटरी के पाठय्कम में समय – समय में कतिपय ट्रेनिंग निर्धारित है जो इस पाठ्यकम को पूर्ण करने हेतु अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना आवश्यक है। जो निम्न प्रस्तुत है:-

- 1. एकजीक्यूटिव कोर्स हेतु 35 व्याख्यानों वाली कुल 70 घंटे की ओरल कोचिंग।
- 2. प्रोफेशनल कोर्स हेतु 40 व्याख्यानों वाली कुल 80 घंटे की ओरल कोचिंग।
- 7 दिवसों की स्टूडेंट इन्डेक्शन प्रोगाम
 (Student Induction Programme) STP जो किसी आवेदक को एक्जीम्यूटिव कोर्स में पंजीयन के 6 माह के भीतर लेना होता है।
- 4. 70 घंटे का अनिवार्य कम्प्यूटर ट्रेनिंग 8 दिवसों की एक्जीम्यूटिव डेव्हलपमेंट प्रोगाम (Executive Development Programme) EDP जो आवेदक को एक्जीम्यूटिव कोर्स पूर्ण करने एवं 15 माह के व्यावसायिक प्रशिक्षण जो करना होता है।
- 5. 25 घंटे का प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट प्रोगाम (Professional Development Programme) PDP जो आवेदक को 15 माह के ट्रेनिंग के दरमियान पूर्ण करना होता हैं।

6. 15 माह की व्यवहारिक ट्रैनिंग :--

एक्जीम्यूटिव कोर्स उपरांत एवं प्रोफसनल कोर्स के दरिमयान आवेदक को पंजीकृत कम्पनी सेक्रेटरी अथवा संस्थान के पास 15 माह की व्यवहारिक ट्रेनिंग लिया जाना आवश्यक है।

10. 15 दिनों की ट्रेनिंग :- प्रोफेसनल कोर्स उपरांत विद्यार्थी को 15 दिनों की ट्रेनिंग विशेषज्ञ ऐजेन्सी जैसे रेजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, स्टॉक एम्सेंज, सेबी, फानांषियल बैकंगि इंस्टीट्यूट में संलग्न रहकर करना होता है।

उपुर्यक्त ट्रेनिंग में कतिपय ट्रेनिंग में विद्यार्थी को पूर्व अनुभव या योग्यता के आधार पर छूट का भी प्रावधान है जो उसे कोर्स के दौरान प्राप्त हो सकती है।

उपर्युक्त उल्लेखित दोनों चरणों फाउन्डेशन एक्जीक्यूटिव एवं प्रोफेशनल तथा साथ ही निर्धारित विभिन्न ट्रेनिंग के उपरांत एक विद्यार्थी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्टरी ऑफ इंडिया का एषोसिऐट मेम्बर बन सकता है। यह कोर्स की परीक्षा प्रत्येक चरण में हिन्दी में भी उपलब्ध है।

संपर्क :- इस परीक्षा के संबंध में अधिक जानकारी वेबसाईट www.icsi.in से प्राप्त कर सकते है।

तुम्हें अन्दर से बाहर की तरफ विकसित होना है, कोई तुम्हे पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हे आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरू नहीं है।

You have to grow form the inside out. None can teach you, none can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul.

- स्वामी विवेकानंद